संख्या-9/2021/224/18-2-2021-97(ल0उ0)/2016

प्रेषक,

नवनीत सहगल,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2- आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन उ0प्र0, कानपुर।
3- समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।
4- समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
5- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 लखनऊ:दिनांक: 06 अप्रैल, 2021

विषय- जेम पोर्टल के क्रियान्वयन हेतु पोर्टल में उपलब्ध करायी गयी नवीन सुविधाओं/व्यवस्थाओं के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत ही हैं कि शासकीय विभागों व उनके अधीनस्थ संस्थाओं में सामग्री एवं सेवाओं के क्रय के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस, जेम (GeM) को राज्य सरकार ने शासनादेश संख्या-11/2017/523/18-2-2017-97(ल0उ0)/2016, दिनांक 23 अगस्त, 2017 द्वारा अंगीकृत कर लिया गया है और इसके क्रियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या-12/2017/540/18-2-2017-97(ल0उ0)/2016, दिनांक 25 अगस्त, 2017 व अन्य सुसंगत शासनादेशों द्वारा दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2- अवगत कराना है कि जेम, भारत सरकार द्वारा जेम पोर्टल पर क्रेता/विक्रेताओं की आवश्यकताओं के अनुरूप आवश्यक बदलाव किये जाने के सतत प्रयास किये जा रहे हैं। इसी क्रम में जेम पोर्टल पर कुछ नयी सेवायें यथा कैंटीन सर्विस, कैटरिंग सर्विस, लाण्ड्री सर्विस, सिक्यूरिटी मैन पावर सर्विस, एम्बुलेन्स सर्विस, **Website/Web Portal/Mob App** विकसित करने वाली एजेन्सी हायर करना, एयर कण्डीशन लॉजिस्टिक सर्विस, कन्सल्टेंट हायरिंग सर्विस एवं क्लाउड बेस्ड विडियो कान्फ्रेसिंग सर्विस आदि उपलब्ध करायी गयी हैं।

3- इसके अतिरिक्त क्रय प्रक्रिया की गुणवत्ता बढ़ाने व त्वरित करने हेतु अतिरिक्त **functionalities/features** सम्मिलित किये गये हैं, जैसे क्रेता विभाग को **Scope of work upload** करने की सुविधा, **GTC** के अतिरिक्त **Terms and Condition** को **add** करने की सुविधा प्रदान की गयी है। **Staggered delivery** का विकल्प, लम्बित भुगतान की स्थिति में क्रेता विभाग पर **Penal Interest Charge** करने की व्यवस्था की गयी है। जेम पोर्टल पर बायर के लॉगिन पर **District**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

Level Filter की व्यवस्था की गयी है तथा रूपये 5 लाख से अधिक के आर्डर पर विक्रेताओं से **Security Money** लिये जाने का प्राविधान किया गया है, ताकि विक्रता क्रयादेश प्राप्त करने के पश्चात इसे अस्वीकार न कर सकें। क्रेता द्वारा किसी भी उत्पाद/सेवा को पोर्टल पर **search** करने हेतु **Gem availability tool** का प्रयोग कर **Gem availability report** प्राप्त की जा सकती है। **Gem availability report** के अनुसार यदि वांछित उत्पाद/सेवा पोर्टल् पर उपलब्ध नहीं है, तब क्रेता विभाग पोर्टल् पर "कस्टम बिड" के विकल्प का चयन कर सकते हैं। इससे क्रेता विभाग द्वारा अपनी आवश्यकतानुसार उत्पाद/सेवा की कस्टम बिड बनाकर पोर्टल् पर **float** किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि जेम पोर्टल् पर 'कस्टम बिड' का विकल्प होने के फलस्वरूप शासकीय सामग्री के क्रय एवं सेवाओं की आपूर्ति हेतु ईटेण्डरिंग की आवश्यकता नहीं रहेगी।

4- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्तानुसार अवगत होते हुये सभी संबंधित को अनुपालनार्थ निर्देशित करने का कष्टकरें।

भवदीय,

नवनीत सहगल
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
4- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जेम, भारत सरकार, नई दिल्ली ।
5- स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
6- अध्यक्ष, केन्द्रीय सर्तकता आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली ।
7- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
8- जेम सेल, लखनऊ।
9- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

प्रदीप कुमार
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in